न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार
अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना, पिनकोड-800015
दूरभाष सं0-0612-2215041, 2215152, email - scdisability2008@gmail.com
Website : scdisabilities.org

पत्रांक- 786/311.1791 दिनांक- 11 मई '2020

आदेश

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-82 के अन्तर्गत

वाद सं0-528/2020

श्री अनिमेश कुमार, पिता-श्री विनोद कुमार, टेटिया, वेस्ट बिंद टोला, पो0- टेटिया, बंबर, हवेली खड़गपुर, मुंगेर एवं अन्य .... वादी

बनाम

(1) कोविड19 (COVID-19) के संक्रमण को रोकने हेतु राज्य में स्थापित विविध क्वारंटाइन (संगरोध) केन्द्रों के प्रबंधक .... प्रतिवादी

(2) सभी जिला पदाधिकारी-सह-अपर आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन), बिहार

प्रकरण में :- कोविड19 (COVID-19) के संक्रमण को रोकने हेतु राज्य में स्थापित विविध क्वारंटाइन (संगरोध) केन्द्रों में दिव्यांगजनों के सुविधा अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाओं में कमी होने के सम्बन्ध में।

कोविड19 (COVID-19) के संक्रमण को रोकने हेतु राज्य में स्थापित विविध क्वारंटाइन (संगरोध) केन्द्रों में दिव्यांगजनों के सुविधा अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाओं में कमी होने के कारण दिव्यांगजनों को हो रही दिक्कतों से सम्बन्धित कई शिकायतें राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय को प्राप्त हुई हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-80 एवं 82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों व उपलब्ध सुरक्षापायों से सम्बन्धित मामलें में समुचित प्राधिकारियों को निदेशित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं इसके निर्वहण के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरूप शक्तियाँ प्रदान की गई है।

श्री अनिमेश कुमार, पिता-श्री विनोद कुमार, टेटिया, वेस्ट बिंद टोला, पो0-टेटिया, बंबर, हवेली खड़गपुर, मुंगेर द्वारा प्राप्त शिकायत की ऑनलाईन सुनवाई के दौरान इस सम्बन्ध में विविध तथ्य अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाये गये हैं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-24 (3)(ग) के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि राज्य सरकारें दिव्यांगजनों के सम्बन्ध में प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के दौरान और संघर्ष के क्षेत्र में सहायता के लिए आवश्यक स्कीमें और कार्यक्रम बनायेगी।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 में वर्णित उक्त प्रावधानों एवं वादी के शिकायत की ऑनलाईन सुनवाई के दौरान प्राप्त विविध तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि कोविड19 (COVID-19) के संक्रमण को रोकने हेतु राज्य में स्थापित विविध क्वारंटाइन (संगरोध) केन्द्रों पर दिव्यांगजनों के सुविधा अनुरूप सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ यथाशीघ्र करते हुए इस सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन इस न्यायालय को समर्पित करेंगे।

इस वाद की अगली सुनवाई की तिथि दि0-01.06.2020 को निर्धारित की जाती है।
आदेश की प्रति सम्बन्धित पक्षकारों को निर्गत करें।

11.05.20

(डॉ0 शिवाजी कुमार),
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0............

ज्ञापांक-सं0सं0-वाद-528/2020-786/आ.नि.शि दिनांक-11 मई'2020

प्रतिलिपि:-सभी सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बिहार को सम्बन्धित आदेश के अनुपालनार्थ आवश्यक समन्वय स्थापित करने के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित।

11.05.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-वाद-528/2020-786/आ.नि.शि दिनांक-11 मई'2020

प्रतिलिपि:-निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

11.05.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-वाद-528/2020-786/आ.नि.शि दिनांक-11 मई'2020

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

11.05.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-वाद-528/2020-786/आ.नि.शि दिनांक-11 मई'2020

प्रतिलिपि:-मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त का कार्यालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सरोजिनी हाउस, भगवान दास रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

11.05.20

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

Email